

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
16 / 2020

दायर दिनांक
12.10.2020

निर्णय दिनांक
23.02.2021

अनवान

1. रतनलाल पिता भैरूलाल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थी

बनाम

1. अशोक पिता भैरूलाल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. कस्तुरी पुत्री उदा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. गणेश पिता उदा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. गीता पिता भैरूलाल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
5. दाखीबाई पत्नी उदा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
6. पुरण पिता भैरूलाल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
7. भगु पिता उदा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
8. माया पुत्री भैरूलाल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
9. भगुबाई पत्नी भैरूलाल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
10. शंकर पिता उदा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
11. भंवरी पत्नी भैरूलाल जाति लोहार आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
12. सुरेश पिता भैरूलाल जाति लोहार आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
13. रामलाल पिता वेणीराम जाति भील आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़



अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री नन्द किशोर चौहान
एक तरफा

प्रार्थी
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

—:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उचनार कलां पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 155 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 1461/884 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.02.2021 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार हो कर इन्हे आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काशतकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा उचनार कलां पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 155 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 1461/884 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/- रुपये शुल्क पर मौका



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not for Circulation

कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

सत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन